

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० क० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्ण रेखा परियोजना/
मुख्य अभियंता, यांत्रिक / चाण्डिल कम्पलेक्स / ईचा-गालूडीह स्वर्ण रेखा परियोजना;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : ५.६.१२

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष-4700-वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना, उप शीर्ष-09-स्वर्ण रेखा परियोजना ए.आई.बी.पी. विस्तृत, शीर्ष-05-निर्माण, 45-मुख्य निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49P470080796090545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700-वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये विभिन्न लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-2 में वर्णित मदों/कार्यों के लिए आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य / 796- जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना	09-स्वर्ण रेखा परियोजना ए.आई.बी.पी. / 05-निर्माण, 45 - मुख्य निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49P470080796090545	641.83

आवंटित राशि - ₹ छ: करोड़ एकतालिस लाख तेरासी हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-2013 के बजट उपबंध रु. 7000.00 लाख (सत्तर करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/पी. एम. सी. / कार्य/ 404/06(पार्ट-II)19/10-11 प्र. स्वी.; राँची, दिनांक: 14.10.10 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति; सक्षम प्रधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं परिशिष्ट-2 पर अंकित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।
- नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
- अनु. :- यथोक्त

३६

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :- ५.६.१२

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकू.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसौवा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

३६

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-

३६

रॉची, दिनांक :- ५.६.१२

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को द अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हे प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव३६
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

पत्रांक :- 36

दिनांक ... ५.६.१२

का अनुलग्नक

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष - 4700 वृहद् सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लधु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना

उप शीर्ष - 09-स्वपरिखा परियोजना (ए०आ०१०बी०पी०)

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49P470080796090545
बजट उपबंध वर्ष 2012-13 में रु० 7000.00 लाख (₹ सततर करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमङ्गल का नाम	मुख्य अभियंता	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन				अध्यक्षित
			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लधु वितरणी प्रमङ्गल सं.-5, डिमना, जमशेदपुर।	सुवर्णपरिखा परियोजना यांत्रिक प्रमङ्गल, यांत्रिक अंतर्गत चांडिल वार्ती मुख्य नहर के विभिन्न किमी पर C/R, H/R गेटों का निर्माण एवं मरम्मति	0.00	641.83	641.83	641.83	यांत्रिक प्रमङ्गल चांडिल द्वारा कराये जा रहे कार्यों के भुगतान हेतु।
		आवंटित राशि :	रु० 0.00	रु० 641.83	रु० 641.83	रु० 641.83	

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (आभि०)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० कौ० रातपथी)
प्रधान सचिव

पत्रांक :— 36 दिनांक ४.६.१२ का अनुलग्नक

परिशिष्ट — २

मॉग संख्या—49—जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष — 4700 वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य शीर्ष — 80 सामान्य,
लघु शीर्ष — 796—जन जातिय क्षेत्रिय उपयोजना
उप शीर्ष — 09—स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.)
विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड — 49P470080796090545
बजट उपबंध वर्ष 2012—13 में रु. 7000.00 लाख (₹ सत्तर करोड) मात्र।


(राशि लाख ₹ में)

क्र. प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	एकरारनाम सं०/तिथि	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभियुक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Fabrication & Erection of Embedded at Component gate shutter & Hoisting of C/R K.M 6.86 of CLMC (Agreement amount 31.23 Lakh)		0.000	0.680	0.680		
		2 Fabrication & Erection of Embedded at Component gate shutter & Hoisting of C/R & H/R at of K.M 108.66 of CLMC.		0.000	50.000	50.000		
		3 Fabrication & Erection of Embedded at Component gate shutter & Hoisting of C/R & H/R of KM 112.65 of CLMC		0.000	50.000	50.000		
		4 Fabrication & Erection of Embedded at Component gate shutter & Hoisting of C/R & H/R of km 115.90 of CLMC		0.000	50.000	50.000		
		5 Fabrication & Erection of Embedded at Component gate shutter & Hoisting of H/R of km 105.82, 106.81, 116.80, 112.64, 114.92 of CLMC		0.000	7.000	7.000		
		6 Fabrication & Refection of Embedded Component gate shatter & Hoisting of C/R & H/R of km 94.525 of CLMC		0.000	50.000	50.000		
		7 Fabrication & Erection of Embedded at Component gate shutter & Hoisting of C/R & H/R of km 100.69 of CLMC		0.000	50.000	50.000		
		8 Fabrication & Erection of Embedded at Component gate shutter & Hoisting of C/R of 117.96 of CLMC		0.000	50.000	50.000		
		9 Fabrication & Erection of Embedded at Component gate shutter & Hoisting of C/R & H/R of km 121.10 of CLMC		0.000	50.000	50.000		
		10 Fabrication & Erection of Embedded at Component gate shutter & Hoisting of C/R & H/R of km 123.08 of CLMC		0.000	50.000	50.000		
		11 Fabrication & Erection of Embedded at Component gate shutter & Hoisting of C/R & H/R of km 125.13 of CLMC		0.000	50.000	50.000		
		12 Fabrication & Erection of Embedded at Component gate shutter & Hoisting of C/R & H/R of km 126.06 of CLMC		0.000	50.000	50.000		
		13 Fabrication & Refection of Embedded Component gate shatter & Hoisting of H/R of Different km of CLMC		0.000	20.000	20.000		
		14 Refabrication for theft parts of km 78.567 of CLMC		0.000	60.000	60.000		
		15 Refabrication for theft parts of km 68.994 of CLMC		0.000	40.000	40.000		
		16 Refabrication for theft parts of km 56.631 of CLMC		0.000	10.000	10.000		
		17 Painting & greasing of C/R gate of km 6.86, 47.631 & 63.414		0.000	3.100	3.100		
		18 Painting & greasing of H/R gate as km 1.33, 1.40, 3.65, 4.39, 6.86, 12.047, 10.047 of CLMC		0.000	1.050	1.050		
			कुल	0.000	641.830	641.830		
		आवंटित राशि : ₹ ८८ करोड एकतालिस लाख तेरासी हजार मात्र।						

यांत्रिक प्रमंडल चार्डिल हारा कराये जा रहे कार्यों के मुताब्दन हेतु।


लघु वितरणी प्रमंडल सं.-5, डिमना, जमशेदपुर।

सुवर्णरेखा परियोजना यांत्रिक प्रमण्डल, यांत्रिक अंतर्गत चार्डिल बांधी मुख्य नहर के विभिन्न किमी पर C/R, H/R गेटों का निर्माण एवं मरम्मति


(ओकार नाथ)

सहायक अभियुक्त


(सुबोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव


(एस० क० शतपथी)
प्रधान सचिव